



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय |  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



संज्ञा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 0  
शिक्षा भवन, 2 कम्प्यूनिटी सेंटर 0

विषय:- बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के अंतर्गत बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अंतर्गत विद्यालय की प्रत्याभूति का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 26-09-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये संचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय SHANTIKUMJ PUBLIC SCHOOL, COURT AREA, GIRJANAGAR, GHOSHI ROAD, JEHANABAD, JEHANABAD, 804408. कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 26-09-2022 से 28-9-2023 अवधि के लिए औपचारिक प्रत्याभूति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रत्याभूति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रत्येक तिथि की भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुसूचना-1) तथा बिहार राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुसूचना-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करोड़। पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अनाथकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुक्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में उद्भूत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित शर्तों की पूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली शर्तों की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन वीर नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का एडमिशन टैक्स नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुसूचना नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्काशित किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से घटाड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।
  - (viii) शिक्षक मित्रों क्लब पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय समय सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं कार्यक्रमों का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अलावा में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से (मर्ज) का सम्बन्ध करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मामलों एवं मामलों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निर्देशन के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 199

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 199

(iii) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAY GROUND, LABORATORY, LIBRARY, COMPUTER LAB, SMART CLASS, GAME & SPORTS

(iv) वर्ग कक्षा की कुल संख्या :- 30

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-अंशर कक्षा :- 1

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 4 , Girls 4

(vii) रैयजल की सुविधा :- 7

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(ix) आधारभूत पहुँच [ ] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय पुस्तकालय :- COMPUTER LAB, SCIENCE LAB, SMART CLASS, MAPS, GLOBES , FOOTBALL, CRICKET, VOLLEY BALL, BADMINTON, SEE-SAW, SKIPPING ROPE, CARROM , ( Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 4 )

11. कोई भी अप्रत्याशित वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के काम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अपना अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा विषय के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्धारित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समूह में समूह कानून के तहत कतिपय किरायेदारों के माध्यम से 13 संवाचित होगा।

14. विद्यालय किरायेदार व्यक्ति, शराबू अथवा व्यक्तियों के संग अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संवाचित नहीं होगा।


15. लेखा का अंकेषण एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अलावा में उपर्युक्त लेखा निवरणी तैयार की जाएगी। पर्याय लेखा विवरणी भी एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को अनिश्चित प्रसवीकृति कोड संख्या [ 23915362022926193156, 2622 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्भूत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रसवीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संघातन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुरोधों का अनुषातन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें



विश्वासभाजन

हो /-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
सह-सचिव प्रसवीकृति समिति  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार